अधिसूचित मार्गो पर निजी वाहनों को अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के संबंध में मार्ग दर्शक बिन्दु

- राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसों के साथ–साथ निजी बसों का संचालन अनुज्ञात किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन मार्गों पर निजी बस संचालक, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्कोप के अनुसार तथा राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन ही संचालन कर सकेंगे।

- इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्कोप निर्धारण किया जाकर विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट transport. rajasthan .gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

- एक अथवा अधिक अधिसूचित या गैर अधिसूचित मार्गों के लिये एक ही बस पर परमिट लिया जा सकेगा लेकिन प्रत्येक मार्ग के लिये शुल्क देय होगा।

- परमिट स्वीकृति के लिये वाहन 37 समस्त बैठक क्षमता या अधिक क्षमता की होगी तथा दो कलेण्डर वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए परन्तु पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक को परमिट स्वतः समाप्त माना जायेगा।

- किन्हीं भी कारणों से इस परमिट पर प्रतिस्थापित की जाने वाली बस उसी वर्ष में निर्मित एवं पंजीकृत होनी चाहिये।

- उत्तराधिकार के प्रकरणों के अतिरिक्त इन परमिटों का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।

- बस की बॉडी का रंग ऑफ व्हाइट होगा। बस के दाएं, बाएं व आगे की ओर गहरे लाल रंग की 12 इंच चौड़ी पट्टी होगी जिस पर दायीं व बायीं ओर काले रंग से **"राजस्थान लोक परिवहन सेवा"** लिखा जायेगा। चालक खिड़की के नीचे तथा समानान्तर दूसरी ओर एवं बस के अग्र भाग में 12 इंच व्यास के गोले में LOGO लगाया जायेगा।

- वाहन के निर्धारित मार्ग पर चलने एवं समय सुनिश्चित एवं नियंत्रित करने के लिये बस में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।

- इन वाहनों हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं विशिष्टताओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा स्वयं निरीक्षण कर जारी की जायेगी।

- स्लीपर कोच को अनुज्ञापत्र केवल रात्रिकालीन सेवा 6.00 P.M.से 8.00 A.M. के मध्य यात्रा हेतु ही दिया जाएगा। इसी प्रकार साधारण बसों को रात्रि में 10.00 P.M. से 4.00 A.M. के मध्य यात्रा हेतु अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाएं।

- सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम किराये से अधिक किराये की वसूली पर नियंत्रण करने के प्रयोजनार्थ इन बसों में यात्रियों को टिकट जारी किया जाना आवश्यक होगा जो कि प्रिन्टेड, ऑनलाइन अथवा ई–टिकट मशीन द्वारा जारी होंगे।

- महिलाओं की सुविधा हेतु प्रत्येक बस में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जायेंगी तथा महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत बस की खिड़कियों के कांच पर रंगीन फिल्म व पर्दे लगाना निषेध होगा। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार, उत्पीड़न या अप्रिय घटना होने पर चालक/परिचालक तुरन्त पुलिस को सूचना देंगे।

- बस के बाहर एवं अन्दर निर्धारित स्थान पर जन साधारण की सूचनार्थ, वाहन स्वामी, चालक व परिचालक के नाम पते व मोबाइल नम्बर लिखे जायेंगे। इसी के साथ किसी समस्या या शिकायत हेतु अपर परिवहन आयुक्त (नियम) के दूरभाष नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल पता भी उचित स्थान पर सुपाठ्य शब्दों में लिखा जाए।

- चालक व परिचालक ड्यूटी पर सदैव निर्धारित खाकी रंग की वर्दी में रहेंगे तथा नियमों में यथावर्णित बैज धारण करेंगे।

- इन बसों के चालक/परिचालक को परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देशित किये जाने पर निर्धारित परीक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

- वाहन चालक/परिचालक की नियुक्ति अथवा परिवर्तन राज्य परिवहन प्राधिकरण को पूर्व सूचित किये बिना नहीं की जा सकेगी। चालक व परिचालक का पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा।

- चालक/परिचालक निशक्तजनों की बस में चढ़ने व उतरने में हर संभव सहायता करेंगे। यदि चालक/परिचालक निशक्त व्यक्ति की सहायता करने से इंकार करते हैं तो वे उनके विरूद्ध निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे।

- समस्त बसों को संचालन के पश्चात् ड्राइवर या अन्य स्टाफ के पास पार्क न किया जाकर वाहन स्वामियों के अधीन पार्क किया जायेगा।

- परमिट धारक को राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 में वर्णित एव परमिट पार्ट ए में यथाउल्लेखित सभी शर्तों की पालना करनी होगी। किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर परमिट निरस्त किया जा सकेगा।

- इन बसों पर चैसिस के रूप में खरीद पर कीमत का 2.05%एवं बॉडी के रूप में खरीद पर कीमत का 1.05% प्रति माह विशेष पथकर देय होगा जो कि 30000/– रूपये से अधिक नहीं होगा।

- इन मार्गों पर परमिट प्राप्त करने के लिये निर्धारित समयावधि में निर्धारित मार्गों हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र 5.1 में अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार एवं उप परिवहन आयुक्त (मु.) के समक्ष प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर झालाना डूंगरी के परिसर में उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

- परमिट की स्वीकृति हेतु सुनवायी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार एवं अपर परिवहन आयुक्त (नियम) के समक्ष नियत दिनांक एवं स्थान पर होगी जिसकी सूचना आवेदकों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

- सुनवायी पश्चात् स्वीकृत आवेदनों से संबंधित परमिट प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र 5.19 में निर्धारित फीस एवं वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार एवं उप परिवहन आयुक्त (मु.) के समक्ष प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर झालाना डूंगरी के परिसर में उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

- इन बसों का संचालन बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए बस अड्डों से किया जाएगा। प्राधिकरण के कार्य प्रारंभ करने तक यथानिर्दिष्ट स्थलों/बस स्टैण्डो से संचालन किया जाएगा।
- एसटीए या एसटीए द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत सचिव/अपर सचिव द्वारा किये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे। उक्त निर्णयों के विरूद्ध अपील राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, जयपुर में की जा सकेगी।